न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 421/2024
वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

1. महेन्द्र कुमार पुत्र आशाराम
2. वीरपाल देवी पत्नी कृष्णलाल
3. राकेश पुत्र कृष्णलाल

} जाति समस्त मेघवाल निवासीगण लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

––वादीगण

बनाम्

1. विद्या देवी पत्नी आशाराम जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. गंगा देवी पुत्री आशाराम पत्नी जगदीश चन्द्र जाति मेघवाल निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.)
3. पूनम देवी पुत्री कृष्णलाल पत्नी कुलदीप कुमार जाति मेघवाल निवासी खारा चक कान्हेवाला तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
4. पूजा देवी पुत्री कृष्णलाल पत्नी विशाल कुमार जाति मेघवाल निवासी खोसेवाला तहसील व जिला हनुमानगढ (राज)
5. रेणू कुमारी पुत्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

––प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–
1. श्री कैलाश सिंवल–वकील वादीगण
2. श्री परविन्द्र सिंह –वकील प्रति.सं.1ता5

दिनांक :– 13.8.24

निर्णय

वादीगण महेन्द्र कुमार वगैरा ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 25.07.2024 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र की चरण सं. 2 में इनकी वंशावली को दर्शाया गया है। वादी सं 1 के पिता, 2 के ससुर, 3 के दादा तथा प्रतिवादी सं 1 के पति, 2 के पिता, 3, 4 व 5 के दादा आशाराम की मृत्यु दिनाक 26.06.2004 को हो चुकी थी जिनके जायज वारिस वाद पत्र की चरण सं 2 में अंकित है। उसके पश्चात् आशाराम के पुत्र कृष्णलाल की मृत्यु दिनाक 08.01.2015 को हो चुकी थी जिनके वारिस भी वाद पत्र की चरण से 2 में वर्णित है। वादी सं सं चक 1 के पिता, 2 के ससुर, 3 के दादा तथा प्रतिवादी 1 के पति, 2 के पिता, 3, 4 व 5 के दादा आशाराम के नाम से चक नं. 4 एस.एम.के. के ज.सं. 2073–2076 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी खाता सं 14/8 में [illegible] बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी सं 1 ने वाद पत्र की चरण सं.4 [illegible] वर्णित [illegible] पति के नाम कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग [illegible] सं 1 के पक्ष में [illegible] व वादी सं. 2 व 3 के पक्ष में 1/2 हि. ब.हि.ब कर दिया है। अब [illegible] के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं [illegible] चाहती है। [illegible] वादीगण प्रतिवादी सं 1 के हक व हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी सं 2 वादी सं 1 की बहिन है तथा वादी सं. 2 की नन्द है तथा वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

से 3 की बुआ है। प्रतिवादी सं 2 ने वाद पत्र की चरण सं 4 में वर्णित अपने पिता आसाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का परित्याग अपने भाई वादी सं 1 महेन्द्र के पक्ष में 1/2 हि व अपनी नन्द वादी से 2 वीरपाल देवी व अपने भतीजे वादी सं 3 राकेश के पक्ष में 1/2 हि का परित्याग कर दिया है। अब प्रतिवादी सं 2 वाद पत्र की चरण सं 4 में वर्णित अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रखना चाहती है। अत वादीगण प्रतिवादी सं. 2 के हक व हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी सं 3, 4 व 5 वादी सं 2 की बेटी है तथा वादी सं. 3 की बहिन है। प्रतिवादी सं 3,4 व 5 ने वाद पत्र की चरण सं 4 में वर्णित अपने दादा के नाम कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादी सं 2 व 3 के पक्ष में ब.हिब कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 3, 4 व 5 वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं रखना चाहती है। अतः वादी सं 2 व 3 प्रतिवादी सं 3, 4 व 5 के हक व हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। जमाबन्दी दस्तावेज चक नं. 4 एम.एम.के. खाता सं. 14/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 पेश हुई। आशाराम व कृष्णलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत हुए। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर से जमाबन्दी चक नं. 4 एम.एम.के. खाता सं. 14/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादीगण पिता/ससुर/दादा का नाम अंकित है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 का स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हो चुका है। वादपत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादपत्र में वर्णित आराजी के पैतृक साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी पेश की। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का स्वीकारात्मक जवाब दावा पेश होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र में वर्णित आराजी विरासतन सम्पति है जिस पर वादीगण का जन्म से ही हित एवं स्वत्व निहित है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र स्वीकारात्मक जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण मुताबिक स्वीकारात्मक जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि चक नं. 4 एम.एम.के. के जं.सं 2073-2076 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी खाता सं 14/8 में 1.265 है. बारानी 1 भूमि में वादी सं. 1 महेन्द्र कुमार को 1/2 हिस्सा अर्थात 0.633 है. तथा वादी सं. 2 वीरपाल देवी व वादी सं. 3 राकेश कुमार को 1/2 हिस्सा अर्थात 0.632 है. के ब.हि.व. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर आशाराम पुत्र आदूराम का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी [illegible] रहन नहीं [illegible] शामिल दरामद मुताबिक हक-हिस्सा किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। [illegible] पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अं.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 421 / 2024

1. महेन्द्र कुमार पुत्र आशाराम
2. वीरपाल देवी पत्नी कृष्णलाल
3. राकेश पुत्र कृष्णलाल

} जाति समस्त मेघवाल निवासीगण लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

––वादीगण

बनाम्

1. विद्या देवी पत्नी आशाराम जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गोगा देवी पुत्री आशाराम पत्नी जगदीश चन्द्र जाति मेघवाल निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.)
3. पूनम देवी पुत्री कृष्णलाल पत्नी कुलदीप कुमार जाति मेघवाल निवासी खारा चक कान्हेवाला तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
4. पूजा देवी पुत्री कृष्णलाल पत्नी विशाल कुमार जाति मेघवाल निवासी खोसेवाला तहसील व जिला हनुमानगढ (राज)
5. रेणू कुमारी पुत्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

––प्रतिवादीगण

<u>घोषणा हेतू वाद</u>

दिनांक :– 13.8.24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री परविन्द्र सिंह वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण मुताबिक स्वीकारात्मक जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि चक नं. 4 एम.एम.के. के जं.सं 2073–2076 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी खाता सं 14 / 8 में 1.265 है. बारानी 1 भूमि में वादी सं. 1 महेन्द्र कुमार को 1 / 2 हिस्सा अर्थात 0.633 है. तथा वादी सं. 2 वीरपाल देवी व वादी सं. 3 राकेश कुमार को 1 / 2 हिस्सा अर्थात 0.632 है. के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर आशाराम पुत्र आदूराम का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी / प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

निज.........निल.........मुब्लिक.........निल.........बाबत.........निल.........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.8.24 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:19 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया